

(Published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary)  
Government of India  
Ministry of Chemicals and Fertilizers  
Department of Pharmaceuticals  
National Pharmaceutical Pricing Authority

New Delhi, the 15<sup>th</sup> May, 2024

**CORRIGENDUM**

S.O. 1994(E):- In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 938(E) dated 28.02.2024, further revised vide S.O. 1547(E), dated 26.03.2024 relating to fixation of ceiling price, published in the Gazette of India, Extraordinary, the Entry at Sl. No. 25 and 722 respectively of the Table, both in Hindi & English version, be read as follows:

Instead of

Sl. No.	Medicines	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25 of S.O. 938(E) dt 28.02.2024 and 722 of S.O. 1547(E) dt 26.03.2024	Budesonide (A) +Formoterol (B)	Inhalation (DPI) 400mcg(A) +6 mcg (B)	1 Dose	6.62

Read as

Sl. No.	Medicines	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25 of S.O. 938(E) dt 28.02.2024 and 722 of S.O. 1547(E) dt 26.03.2024	Budesonide (A) +Formoterol (B)	Inhalation (DPI) 400mcg (A) + 6 mcg (B)	1 Dose	6.95

All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 938(E) dated 28.02.2024 and S.O. 1547(E), dated 26<sup>th</sup> March, 2024 shall remain same.

PN/255/123/2024/F

F. No. 8(123)/2023/D.P./NPPA-Div.-II

(Mahaveer Saini)  
Deputy Director

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
औषध विभाग  
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली, तारीख: 15 मई 2024

शुद्धि पत्र

का. आ. 1994(अ) :- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना में का.आ. 938(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2024, का.आ. 1547(अ), दिनांक 26 मार्च, 2024 द्वारा आगे संशोधित जो अधिकतम कीमत से संबंधित है भारत के आसाधारण राजपत्र में तालिका के क्रम सं. 25 और 722 क्रमशः का हिंदी और अंग्रेजी दोनों का रूपांतरण निम्नानुसार पढ़ा जाए।

इसके स्थान पर

क्र. स.	दवाइयाँ	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25 एस.ओ. 938(अ) दिनांक 28.02.2024 एवं 722 एस.ओ. 1547(अ) दिनांक 26.03.2024	बुडेसोनाइड (ए) +फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (डीपीआई) 400 एमसीजी (ए) + 6 एमसीजी (बी)	1 डोज	6.62

पढ़ा जाए

क्र. स.	दवाइयाँ	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25 एस.ओ. 938(अ) दिनांक 28.02.2024 एवं 722 एस.ओ. 1547(अ) दिनांक 26.03.2024	बुडेसोनाइड (ए) +फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (डीपीआई) 400 एमसीजी (ए) + 6 एमसीजी (बी)	1 डोज	6.95

मूल आदेश का.आ. 938(अ) दिनांक 28 फरवरी, 2024 और का.आ. 1547(अ) दिनांक 26 मार्च, 2024, में उल्लेखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रहेगी।

कां.सं./255/123/2024/एफ

फा. सं0 8(123)/2024/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II

(महावीर सेनी)

उप निदेशक